संख्या-76/2016-2288 ई-2/तेरह-2016-44/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 दिसम्बर,2016

विषय:-श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को बाहर से ग्रेन स्प्रिट आयात कर पेय मदिरा उत्पादन करने (बाटलिंग करने) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-64/2016-1932 ई-2/तेरह-2016-44/2016, दिनांक 27 अक्टूबर,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को 55 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 165 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की गैर शीरा पदार्थ अर्थात् अनाज पर आधारित आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन तथा तद्नुसार वांछित बाटलिंग अनुज्ञापन स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2- तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इकाई के सम्बन्ध में मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 10-8-2016 एवं इकाई के पुनर्वासित होने की दशा में बकाया भुगतान आरम्भ हो जाने की सम्भावना के दृष्टिगत राजस्वहित में शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 अक्टूबर,2016 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर को आसवनी निर्माण होने एवं उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने तक बाहर से ग्रेन स्प्रिट आयात कर बाटलिंग प्लान्ट में पेय मदिरा(देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा) का उत्पादन आरम्भ करने (बाटलिंग करने) की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।